

उक्त संख्या का नाम  
पारिवहन विभाग गण।

राजस्थान सरकार



# रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र

क्रमांक 64/30/195-96

यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत अधिनियम क्रि. सं. 1958

जिला बलर  
राजस्थान संख्या रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958)

के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 11-11-2000

17-NOVEMBER 2000 - 17-NOVEMBER 2000 राय एक हजार को को 17-11-2000

असल में दिया गया।

रजिस्ट्रार संतोष  
बलर (राजस्थान)

गोपल डूक कंपनी बलर।